

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन्दिरा सर्किल, जयपुर

क्रमांक प.3(1)जविप्रा/आरएमएण्डसी/एचपी/2015/डी-214

दिनांक: 24/7/2015

कार्यालय आदेश


विषय :- अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के दोषी आवंटियों द्वारा बकाया राशि जमा कराने के संबंध में।

संदर्भ:- क्रमांक राविल/2015-16/1356 दिनांक 16.07.2015 (छायाप्रति संलग्न है)

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य स्तरीय सेन्कशनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (SLMC) की बैठक दिनांक 03.07.15 के बिन्दु संख्या 2(1) (II) के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण की छः परियोजनाओं क्रमशः मै0 सिन्टेक्स इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. का एस्करो खाता सं.-675405600002, मै0 सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट का एस्करो खाता सं.-675405600004, मै0 भैरव टाउशिप प्रा.लि. का एस्करो खाता सं.-675405600006, मै0 विनकास ऐस्टेट प्रा.लि. का एस्करो खाता सं.-675405600005, मै0 शिव शक्ति रियल हॉम का एस्करो खाता सं.-675405600001, मै0 रिजेन्सी बिल्ड हॉम एल.एल.पी. का एस्करो खाता सं.-675405600008 उक्त परियोजनाओं में कैम्प लगाया जाकर कब्जा-पत्र एवं लीजडीड जारी किये जा चुके हैं/कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इन योजनाओं के दोषी आवंटियों को बकाया राशि का नोटिस सम्पूर्ण बकाया राशि के विवरण सहित संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा दिया जावे। उक्त परियोजनाओं में उपायुक्त जोन द्वारा जारी बकाया राशि के नोटिस की दिनांक से एक माह की अवधि में आवंटी द्वारा बकाया जमा कराने के नोटिस कम मांग-पत्र के आधार पर राशि जमा की जावे। नोटिस की दिनांक से एक माह में भी बकाया राशि जमा नहीं कराने पर आवंटियों के आवंटन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

मै0 मैजेस्टिक रियल मार्ट प्रा0लि0 का एस्करो खाता सं.-675405600007 एवं मै0 सिद्धि विनायक अफोर्डेबल होम्स का एस्करो खाता सं.-675405600003 का निर्माण कार्य/विकास कार्य जारी है उक्त परियोजनाओं में दोषी आवंटियों को बकाया राशि जमा कराने हेतु दिनांक 30.09.15 तक की समयावधि बढ़ायी गयी है। इन योजनाओं के दोषी आवंटियों को संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा नोटिस कम मांग-पत्र जारी किया जावे।

अतः उक्त छः परियोजनाओं में उपायुक्त जोन द्वारा पलैट्वार मांग-पत्र जारी करने की तिथि से एक माह तक तथा उक्त शेष दो परियोजनाओं में दिनांक 30.09.15 तक एस्करो खातों में राशि जमा की जावे।



(पवन अरोडा)
राचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) जविप्रा।
3. प्रबंध निदेशक राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०।
4. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा।
6. उपायुक्त जोन-11,12,12ए,14 व 15 जविप्रा।
7. अधिशाषी अभियन्ता जोन-11,12,12ए,14 व 15 जविप्रा।
8. विशेषाधिकारी (आर.एम) जविप्रा।
9. बैंक मैनेजर, आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जेडीए परिसर शाखा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आठों प्रोजेक्ट में आदेशानुसार राशि जमा करें।
10. सिस्टम एनालिस्ट जविप्रा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना जेडीए वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मै० शिव शक्ति रियल होम प्रा०लि० 501-503 डॉयमण्ड टॉवर जयपुर
2. मै० सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज आस्था स्क्वायर सी-स्कीम जयपुर
3. मै० सिद्धि विनायक अफोर्डेबल होम्स 30-31, सांगा सेतू सांगानेर, जयपुर
4. मै० सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० 68, गोपालबाडी, जयपुर
5. मै० विनकास एस्टेट प्रा०लि० एस-220, टाइम स्क्वायर विद्याधर नगर, जयपुर
6. मै० भैरव टाउनशि प्रा०लि० एस-223, टाइम स्क्वायर विद्याधर नगर, जयपुर
7. मै० मैजेस्टिक रियलमार्ट प्रा०लि० 707, पैरिस पॉइन्ट बनीपार्क, जयपुर
8. मै० रिजेन्सी बिल्ड होम एल.एल.पी 6डी कॉरपोरेट टॉवर जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
9. नोटिस बोर्ड जविप्रा।


संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)
नोडल अधिकारी अफोर्डेबल हाउसिंग



राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

4-स-24, जवाहर नगर जयपुर-302004 (राज.)

फोन एवं फेक्स: 0141-2652969-70 ई-मेल: avkasltd_jp1@rediffmail.com

क्रमांक: RAVIL/2015-16/1356

दिनांक:- 16.7.15

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के दोषी आवंटियों द्वारा बकाया राशि जमा कराने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य स्तरीय सेन्कशनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 03.07.2015 के बिन्दु संख्या 2(1)(ii) के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण की छः परियोजनाओं मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि., मैसर्स भैरव टाउनशिप प्रा. लि., मैसर्स विनकास एस्टेट प्रा. लि., मैसर्स शिव शक्ति होम्स प्रा. लि., मैसर्स रिजेन्सी बिल्डहोम एल. एल. पी. में आवासों के कब्जा दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है के दोषी आवंटियों को बकाया राशि का नोटिस दिया जावे। नोटिस की दिनांक से एक माह में भी बकाया राशि जमा नहीं कराने पर उनके आवंटन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

प्रथम चरण की दो परियोजनाएँ मैसर्स मैजेस्टिक रियलमार्ट प्रा. लि., मैसर्स सिद्धि विनायक अफॉडेबल होम्स, नेवटा जिनका निर्माण/विकास कार्य जारी है कि दोषी आवंटियों को बकाया राशि जमा कराने हेतु 3 माह अर्थात् दिनांक 30.09.2015 तक की समयवधि बढ़ायी गयी है।

अतः उपरोक्त निर्णयानुसार सभी दोषी आवंटियों को समाचार पत्रों एवं व्यक्तिगत नोटिस द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जावे।

भवदीय,


प्रबंध निदेशक,
राविल, जयपुर।

संलग्न:- निर्णय की प्रति।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि., मैसर्स भैरव टाउनशिप प्रा. लि., मैसर्स विनकास एस्टेट प्रा. लि., मैसर्स शिव शक्ति होम्स प्रा. लि., मैसर्स रिजेन्सी बिल्डहोम एल. एल. पी. को सूचनाार्थ।


प्रबंध निदेशक

Government of Rajasthan
Department of Urban Development & Housing Department

No.F.2(18)UDH/5/2009Part-VII

Jaipur, dated : **15 JUL 2015**

Minutes

Minutes of the meeting of the State Level Sanctioning & Monitoring Committee held under the Chairmanship of Additional Chief Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt. of Rajasthan on 03rd July, 2015 at 05.00 PM in the Conference Hall, Town Planning Department, Jaipur.

Following were present :-

1. Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur.
2. Joint Secretary-I, UDH Department, Jaipur.
3. Managing Director, RAVIL, Jaipur.
4. Senior Town Planner, UDH Department, Jaipur.
5. Additional Chief Engineer, RUIFDCO, Jaipur representative of Secretary, LSG Department.
6. Senior Town Planner, DLB representative of Director Local Bodies, Jaipur.
7. Joint Commissioner, Jaipur Development Authority representative of Commissioner, JDA, Jaipur
8. General Manager, RAVIL, Jaipur.

Item No. 1 Confirmation of cancellation of six projects of Phase II under Model 2 Affordable Housing Policy, 2009

Committee confirmed the cancellation of all following six projects :-

- (i) M/s. Gulshan Infra Project Pvt. Ltd. Udaipur.
- (ii) M/s. Sumit Buildcom Pvt. Ltd. Devli.
- (iii) M/s. Sun System Institute of Information Technology Pvt. Ltd., Bhiwadi.
- (iv) M/s. Vaishnu Devi Colonizers Pvt. Ltd. Chittorgarh.
- (v) M/s. Nine Global Industries Pvt. Ltd. Ralawas, Jodhpur.
- (vi) M/s. Nine Global Industries Pvt. Ltd. Balakua, Jodhpur.

Item No. 2 Confirmation of time extension for depositing installment by allottees of Ph. I of Model-2 of Affordable Housing Projects from 01.08.2014 to 30.06.2015

Committee confirmed the decision of time extension already agreed on file, for depositing remaining installment by allottees of Ph. I Model-2 of Affordable Housing Projects from 01.08.2014 to 30.06.2015.



The committee discussed the matter of further extending the date of depositing installments by allottees in detail and decided as under :-

- (i) In eight projects of Phase-I in which process of giving possession of flats already started, it is decided to give a notice to the defaulter allottees with detail of balance amount to deposit in 1 month time from date of dispatch of notice, failing which the allotment of flat stands cancelled.
- (ii) Projects which are still in progress a period of 3 months extended for depositing the remaining balance amount

Item No. 3 Time extension for completion of projects of phase – I model 2.

The committee discussed the matter in detail and allowed the time for completion for 6 projects as below:

S.No.	Project	Stipulated Date of Completion	Extension Granted
01	M/s Goldline Infrastructure Pvt. Ltd, Ajmer	19.03.2015	For 6 months period i.e upto 19.09.2015
02	M/s Amit Colonizers, Dausa	18.05.2015	For 3 months period i.e. upto 18.08.2015
03	M/s Ram Balaji Developer Infrastructure Pvt. Ltd	19.06.2015	For 9 months period i.e. upto 19.03.2016
04	M/s Sidhi Vinayak Affordable Homes	14.06.2015	For 3 months period i.e. upto 14.09.2015
05	M/s Mejstic Realmart Pvt. Ltd (SNG Group)	27.08.2014	For 2 months period i.e. upto 31.10.2015
06	M/s Falcon Reality Service Pvt. Ltd.	06.08.2013	For a period upto 31.03.2016

Item No. 4 Review of Progress of Projects of Phase-I & Phase-II of model-2 Affordable Housing Policy 2009 through RAVIL.

Committee reviews the progress of phase-I & phase-II projects of model-2 and instructed RAVIL to get the projects completed the remaining six projects of phase-I as per extended time period. Regarding the projects of M/s SNG Group in village Bhambhori, Jaipur, Committee instructed to submit the case on file and process for approval from competent authority so that project starts immediately.

Item No. 5 Review of Mega Housing Projects .

Progress of Mega Housing projects was presented by M.D.Ravil. Chairman directed RAVIL to ensure timely completion of the projects and work shall be started in the remaining projects also. Committee also instructed to RAVIL to explore the possibility for obtaining Rs 50 cr line of credit as loan from HUDCO for Phase-II of Affordable Housing Projects and Mega Housing Projects to support the projects financially.

Item No. 6 To take decision for utilization of the grant received from Govt. of India against the internal development of schemes already executed by Private Developers.

Committee discussed the matter in detail and decided to deposit grant amount received from Govt. of India in the account of Project Resident Welfare Society for maintenance works.

Item No. 7 Any other item.

Representation received from M/s. ARIHANT Superstructures Ltd., Jodhpur for issue title documents/patta for the balance land of 99599.74 sq. mtrs. From Affordable Housing project at Chokha, Jodhpur (Model-IV of Policy). Directions may be issued to Jodhpur Development Authority to resolve the matter immediately.

Meeting concluded with thanks to chair


(C.S. Mutina)
Joint Secretary I

Copy to :-

1. PS to Additional Chief Secretary, UDH & LSG Department, Jaipur.
2. Secretary, LSG Department, Jaipur.
3. Commissioner, JDA, Jaipur.
4. Chief Town Planner, Town Planning Department, Jaipur.
5. Director, Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.
6. Senior Town Planner, UDH, Rajasthan, Jaipur.
7. MD, RAVIL, Jaipur.
8. Joint Commissioner, JDA, Jaipur.
9. GM, RAVIL, Jaipur.
10. Secretary, Jodhpur/ Ajmer Development Authority/ All UIT's.
11. Guard File.


Joint Secretary I

(21/7/15)

14/7/15